

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या:2133/नौ-7-14-30(ज.)/2013
लखनऊ : दिनांक : 12 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 1959) की धारा (6) की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल श्री अजीत सिंह पुत्र श्री श्यामा कुमार सिंह, निवासी-441/87/5/5, जल निगम रोड, बालागंज, लखनऊ को नगर निगम, लखनऊ में पार्षद के रूप में निर्दिष्ट कर नामित करते हैं।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या:2133(1)/नौ-7-14-30(ज.)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड-ख में दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित कराकर उसकी 20 मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-7, बापू भवन, आठवों तल, उ.प्र. सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या:2133(2)/नौ-7-14-30(ज.)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ (पंजीकृत डाक द्वारा)।
5. महापौर, नगर निगम, लखनऊ।
6. संबंधित मा. पार्षद (पंजीकरण डाक द्वारा)।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय साईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।